उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्याः–5439–औ0सं0/2017–3(यू0)ए0एस0/17 दिनाँक 15 दिसम्बर 2017

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वान्चल/दक्षिणांचल/पश्चिमाँचल,
विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

मुख्य अभियन्ता (ज0वि0)/वाणिज्य/नियोजन/जाँच समिति (जानपद–पारे0।।)/सचिव, विद्युत सेवा आयोग/ उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/पारेषण,

निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

विषयः– विद्युत कार्यालय सहायक संघ, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 21.12.2017 से 23.12.2017 तक 03 दिवसीय कार्य बहिष्कार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विद्युत कार्यालय सहायक संघ, उ0प्र0 ने अपने पत्र सं0–135/वि0का0स0/के0का0 दिनांक 27.11.2017 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा चरणबद्ध आन्दोलन एवं दिनांक 21.12.2017 से 23.12.2017 तक 03 दिवसीय कार्य बहिष्कार किये जाने की नोटिस दी हैं।

आप विदित है कि उ0प्र0 शासन ने उ0प्र0 आवश्यक सेवाओ का अनुरक्षण अधिनियम–1966 के अर्न्तगत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में अधिसूचना संख्या–4/2017/1070/24–पी–2–17–1(121)/04 दिनांक 04.07.2017 द्वारा छः माह के लिये हड़ताल निषिद्ध की है जिसकी सूचना आपको कारपोरेशन (मुख्यालय) के पृष्ठांकन संख्या–3519–औ0सं0./2017– 159–ए0/67 दिनाँक 10.07.2017 द्वारा दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में कार्य बहिष्कार, रैली आदि करना न केवल अनुचित अपितु अवैधानिक भी है।

अतः विद्युत कार्यालय सहायक संघ, उ0प्र0 द्वारा प्रस्तावित उक्त कार्य–बहिष्कार को दृष्टिगत रखते हुये विभिन्न कार्यालयो में किये जा रहे कार्यो की स्थिति को सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये ताकि बिलिंग सहित अन्य कार्यों में व्यवधान उत्पन्न न हो। साथ ही साथ कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व सयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यकता होने पर जिला–प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जायें।

यह भी अनुरोध है कि कार्य बहिष्कार की अवधि में कर्मचारियों को (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) अवकाश स्वीकृत न किया जाये तथा दिनांक 21.12.2017 से 23.12.2017 तक कार्य बहिष्कार में प्रतिभाग करने हेतु अनुपस्थित होने वाले कार्यालय सहायकों के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–929–औ0सं0/17/पाकालि/ 2001–3–ए0/79 दिनाँक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में **"काम नहीं तो वेतन नहीं"** के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

उपर्युक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों–मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ताओं को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

कृपया इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कष्ट करें।

सलंग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

क्रमश : 2/–

<u>संख्याः–5439–औ0सं0 / 2017, तद्‌दिनांक :–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

2– संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को कान्टीजेन्ट प्लान एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थाये पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।

3– समस्त महाप्रबन्धक (लेखा) / उप महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

4– कारपोरेशन मुख्यालय / लेखा–शाखा के समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

5– अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट **www.uppcl.org** पर लोड करने हेतु।

6– कट फाइल।

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

ट्रेड यूनियन रजि0 संख्या : 10078

विद्युत कार्यालय सहायक संघ, उ0प्र0

पीली कोठी, ई0टी0आई0 गेट के सामने, कानपुर रोड़ सरोजनी नगर, लखनऊ–226008
vkssup@gmail.com vkssup.org

एक नई सोच एक नई शुरुआत

सुनील प्रकाश पाल प्रदेश अध्यक्ष 8090000331	मनीष कुमार श्रीवास्तव प्रदेश महामंत्री 9336917171	आशीष कुमार प्रदेश कोषाध्यक्ष 9454367535

पत्रांक: 135 / वि0का0स0 / क0का0 दिनांक : 27.11.2017

: दूषित कार्यप्रणाली के विरूद्ध संघर्ष नोटिस :

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0
उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 / उ0प्र0ज0वि0नि0लि0
शक्ति भवन, लखनऊ

पंजी संख्या 5349 औ0सं0-17 / ...
पत्रावली संख्या ....
कमांक ....

D (P&A) 27.11.17

विषय : **कार्यालय सहायक संवर्ग के प्रति भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाए जाने एवं शोषण किए जाने के दृष्टिगत "मानवाधिकार दिवस" के अवसर पर दिनांक 8 दिसम्बर, 2017 को शक्ति भवन पर प्रदर्शन तथा मा0 मुख्यमंत्री आवास तक मार्चपास्ट एवं मा0 मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषण।**

संदर्भ : कारपोरेशन को प्रेषित संघ के विभिन्न विषयक 28 पत्रों का पत्रांक, दिनांक विषय एवं विभाग द्वारा अद्यतन की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित विवरण तालिका (संलग्नक–1)

8950/MD/17 दि0 27/11/17

आदर्णीय महोदय / महोदया,

सम्मानपूर्वक कृपया संज्ञानित होना चाहें कि ऊर्जा विभाग के विभिन्न ऊर्जा निगमों / इकाइयों में कार्यरत कार्यालय सहायक संवर्ग की वेतन विसंगतियों / सेवा सम्बन्धित लम्बित मांगों पर काफी समय से अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है तथा स्नातक उत्तीर्ण, कम्प्यूटर दक्ष इस संवर्ग के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए जाने के साथ शोषण भी किया जा रहा है। **विभाग द्वारा इस संवर्ग के साथ समानता का व्यवहार न किए जाने, अधिकारों के हनन, दूषित तथा अन्यायपूर्ण कार्यप्रणाली से कार्यालय सहायक हृदयाघात, उच्च रक्तचाप, अवसाद आदि विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं।**

जैसा कि आप संज्ञानित हैं कि विभाग में कार्यरत तकनीकी संवर्गों की पदोन्नति मात्र 4–5 वर्षों में ही हो जाती है परन्तु दूषित कार्यप्रणाली के कारण कार्यालय सहायक संवर्ग की पदोन्नति 20–25 वर्षों नें भी नहीं हो पाती, साथ ही इस संवर्ग की पदोन्नति मात्र एक छलावा है क्योंकि पदोन्नति उपरान्त भी उनके कार्यों, अधिकारों तथा सामाजिक स्थिति में ही परिवर्तन आता है और न ही कोई भी वित्तीय लाभ होता है, जबकि विद्युत विभाग के प्रत्येक संवर्ग की प्रोन्नति के फलस्वरूप अभूतपूर्व परिवर्तन होते हैं। संघ द्वारा इस अनियमितता, अन्यायपूर्ण एवं दोषपूर्ण कार्यप्रणाली में सुधार हेतु विगत काफी समय से सक्षम स्तरों को अनेकों पत्रों के माध्यम से प्रार्थना की गयी परन्तु कोई सम्यक कार्यवाही की गयी परिलक्षित नहीं हुई जिससे कार्यालय सहायक संवर्ग गहरी कुंठा, निराशा, असंतोष एवं अपमान की सीमा तक हतोत्साहित है।

विभाग की दोषपूर्ण / अन्यायपूर्ण कार्यप्रणाली के कुछ उदाहणस्वरूप उल्लेखनीय बिन्दु निम्नवत् हैं :–

क्र. सं.	विभाग में कार्यरत कुछ संवर्गों की स्थिति तथा कार्य	कार्यालय सहायक की संवर्ग की स्थिति तथा कार्य	दोषपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण कार्यप्रणाली
1.	**सहायक समीक्षा अधिकारी** योग्यता–स्नातक / टंकण / कम्प्यूटर कार्य : लिपिकीय ग्रेड–वेतन ₹4200 / – प्रोन्नति : वरिष्ठता के आधार पर 4–5 वर्ष में राजपत्रित अधिकारी तक प्रोन्नति	योग्यता– स्नातक / टंकण / कम्प्यूटर कार्य : लिपिकीय / लेखा एवं बिलिंग ग्रेड–वेतन ₹2600 / – प्रोन्नति : कोई मानक नहीं, ज्यादातर कार्यालय सहायक 20–25 वर्ष तक भी पदोन्नत नहीं हो पाते	दोनों ही संवर्गों के कार्यों / योग्यता में समानता के बावजूद भी कार्यालय सहायक पदोन्नत होकर समीक्षा अधिकारी नहीं हो सकता। जबकि 5वीं पास तकनीकी संवर्ग का कार्मिक अधिशासी अभियन्ता तक प्रोन्नत होता है।
2.	**सहायक लेखाकार** योग्यता–स्नातक ग्रेड–वेतन ₹3000 / – प्रोन्नति : 4–5 वर्ष में सेवानिवृत्ति से पूर्व उप महाप्रबन्धक अथवा उससे उच्चतर तक प्रोन्नत हो सकते हैं	अधिकतर कार्यालय सहायक पेंशन, टैक्स, कैश–बुक, रोकड़िया, SJ 1–4, मासिक लेखांकन, लेजर, स्टॉक एकाउन्टिंग, 1S/1T, 2S/2T, 3S/3T, 4S/4T, GST, टेण्डर आदि तथा लेखा एवं अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य करते हैं	यह हास्यपद होने के साथ दूषित कार्यप्रणाली एवं अन्याय का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि दक्षता तथा निपुणता से लेखा कार्यों को सम्पादित करने वाला कार्यालय सहायक अनुभवों तथा कार्य के आधार पर कभी लेखाकार नहीं बन सकता

28.11.17

P GM (HR) 29.11.17

3.	**अवर अभियन्ता** योग्यता–12+डिप्लोमा ग्रेड–वेतन ₹4600/– पदोन्नति : मात्र 7–8 वर्षों में सहायक अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता तक प्रोन्नत हो सकते हैं।	वितरण क्षेत्रों में कार्यरत कार्यालय सहायक बिलिंग, बिल रिवीजन, स्टीमेट पास करना, एम0बी0 करना, रेवेन्यू कलेक्शन, आर0टी0आई0 इत्यादि कार्यों को करता है। (मात्र तकनीकी कार्यो को छोड़कर अवर अभियन्ताओं द्वारा किए जाने वाले अन्य समस्त कार्यों को कार्यालय सहायक द्वारा सम्पादित किया जाता है)	पाकालि द्वारा ड्राफ्टमैन के पद को विलोपित कर उनके कार्यो को करने हेतु अवर अभियन्ता की नियुक्ति की गयी है, किन्तु ज्यादातर खण्ड कार्यालयों में ड्राफ्टमैन द्वारा किए जाने वाले कार्यों को कार्यालय सहायक द्वारा सम्पादित किया जा रहा है फिर भी कार्यालय सहायक अवर अभियन्ता नहीं बन सकता चाहें उसकी योग्यता बी0टेक/पॉलिटेक्निक अथवा समकक्ष ही क्यों न हो।

- विद्युत विभाग में कार्यालय सहायक मात्र एक ऐसा संवर्ग जिसे खण्ड/मण्डल/मुख्य अभियन्ता एवं मुख्यालय स्तर पर बांट दिया गया है जिसके कारण प्रायः **वरिष्ठ से पहले कनिष्ठ प्रोन्नत हो जाता है तथा 90% कार्यालय सहायक 20–25 वर्षों तक पदोन्नत ही नहीं हो पाते।**
- अनेंको उदाहरण हैं कि **5वीं उत्तीर्ण कुली/श्रमिक/लाइनमैन इत्यादि से प्रोन्नत होकर अधिशासी अभियन्ता तक बन गए** परन्तु स्नातक उत्तीर्ण कार्यालय सहायक–।।। से कार्यालय सहायक–। तक ही प्रोन्नत हो पाया। यह भी अवगत कराना समीचीन होगा कि अनेकों कार्यालय सहायक, विधि स्नातक/इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक एवं परास्नातक उत्तीर्ण हैं, परन्तु दोषपूर्ण/अन्यायपूर्ण कार्यप्रणाली के कारण वह कार्यालय सहायक पद से ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
- विद्युत विभाग में एकमात्र यही ऐसा संवर्ग है जिसका कार्यालय सहायक–।।। पद से कार्यालय सहायक–।। पद पर प्रोन्नति होने पर ना तो वेतनमान बदलता है और ना ही कार्य एवं अधिकार और ना ही सामाजिक स्तर में कोई भी परिवर्तन आता है और कार्य भी पूर्ववत् ही रहते हैं, यानि **कार्यालय सहायक की पदोन्नति मात्र एक छलावा है।**
- कारपोरेशन द्वारा अनेंको नए उपखण्ड/खण्ड/मण्डलों का श्रृजन किया गया है तथा अवर अभियन्ता से लेकर अधीक्षण/मुख्य अभियन्ताओं के पद बढ़ाए गए एवं उन पदों पर पदोन्नति एवं सीधी भर्ती द्वारा अभियन्ताओं को नियुक्त किया है किन्तु कार्यालय सहायकों की न तो भर्ती की गयी और ना ही पदोन्नति का कोई भी ध्यान रखा गया है अतः काम चलाऊ व्यवस्था के अर्न्तगत तैनात कार्यालय सहायकों पर कई उपखण्डों/खण्डों का दायित्व सौंप दिया गया है जिससे अधिकतर कार्यालय सहायक वेहद दवाब में हैं तथा उन्हें समस्त अवकाश में तथा रात्रि 9–10 बजे तक कार्य करना होता है जिसके कारण लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं एवं अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भी नहीं कर पा रहे हैं। अतिरिक्त काम के घंटों के बदले उन्हें न तो कोई वित्तीय लाभ दिया जा रहा है और न ही प्रतिकर अवकाश।

महोदय, वर्तमान लोकप्रिय सरकार 'समान काम, समान वेतन तथा समान अवसर' के आधार पर निष्पक्ष कार्य कर रही है तथा आप संज्ञानित ही हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित है तथा अनुच्छेद 39 (घ) में तथा समान वेतन अधिनियम, 1976 में भी यह स्पष्ट प्राविधान है कि 'एक ही तरीके के कार्य के लिए समान वेतन तथा समान अवसर' मिलना चाहिए बावजूद इसके ऊर्जा विभाग में इन कानूनों की अवहेलना की जा रही है। यदि कोई कर्मचारी दूसरे कर्मचारियों के समान कार्य या समान दायित्व निभाता है तो उसे समान अवसर/मेहनताना दिया जाना चाहिए। मानव अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत भी समान अधिकार, बराबरी, सम्मान का अधिकार सभी को समान रूप से दिया गया है, समान कार्य के उपरान्त भी एक संवर्ग को कम वेतन दिया जाना न केवल अपमानजनक है, बल्कि मानवीय गरिमा पर कुठाराघात भी।

उक्त सविस्तार साक्ष्यपूर्ण उदधृत तथ्यों से आप भी सहमत होंगे विद्युत विभाग में वर्तमान प्रचलित कार्यप्रणाली, सरकार के निर्देशों, मानव अधिकारों तथा भारतीय संविधान के आदेशों की खुली अवहेलना हो रही है जिससे विभाग के कार्यालय सहायकों में भारी असंतोष एवं असुरक्षा व्याप्त है। विद्युत कार्यालय सहायक संघ द्वारा सक्षम स्तर पर अनेंक पत्रों, भेंट वार्ताओं, पैरवी के माध्यम से दोषपूर्ण प्रणाली के स्थान पर **'सबका साथ–सबका विकास'** की नीति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु लगातार अनुरोध किए गए, किन्तु किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हुई। जिस कारण विभाग में आन्दोलन की स्थिति उत्पन्न हुई है।

आप सहमत होंगे कि समस्याओं का समय से समाधान न होना ही आन्दोलनों को प्रेरित करता है। विद्युत कार्यालय सहायक संघ, उ0प्र0 कभी भी आन्दोलनों का पक्षधर नहीं रहा है परन्तु अनेंको पत्रों एवं ध्यानाकर्षण कार्यक्रम करने के उपरान्त भी संवर्ग की उपेक्षा से प्रदेश भर के कार्यालय सहायकों में व्याप्त भारी आक्रोश तथा क्षोभ को देखते हुए उच्चाधिकार सभा

दिनांक 27.11.2017 द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में विभागीय उपेक्षा से अपमान महसूस कर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से जनमानस की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित कार्यक्रमों की घोषणा की गयी :–

:: आन्दोलन कार्यक्रम ::

1. **मानवाधिकार दिवस के अवसर पर दिनांक 8 दिसम्बर, 2017 को प्रातः 11:00बजे से अपरान्ह 02:00बजे तक शक्ति भवन के सामने धरना–प्रदर्शन तथा इस अवधि में प्रबन्धन द्वारा वार्ता हेतु आमंत्रित न किए जाने पर अपरान्ह 02:00 के पश्चात् शक्ति भवन से मा0 मुख्यमंत्री आवास तक "फाइट फार जस्टिस रैली" तथा मा0 मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन–प्रेषण।**
2. **दिनांक 9 दिसम्बर, 2017 से 20 दिसम्बर, 2017 असहयोग आन्दोलन (अवकाश में कार्य नहीं किया जाएगा तथा निर्धारित कार्यालय समय प्रातः 10:00बजे से सायं 05:00बजे तक ही कार्य किया जाएगा)।**
3. **दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 से 23 दिसम्बर, 17 तक तीन दिवसीय कार्य वहिष्कार।**
4. **दिनांक 3 जनवरी, 2018 से शक्ति भवन पर आमरण अनशन।**

उक्त आन्दोलनों/प्रदर्शनों से विभाग को होने वाली क्षति के लिए संघ/कार्यालय सहायक जिम्मेदार नहीं होंगे।

अति सम्मान सहित!

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि

(सुनील प्रकाश पाल)
प्रदेश अध्यक्ष
8090000331/9648227577

पत्रांक : 135/वि0का0स0/के0का0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. श्रीयुत् योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री, उ0प्र0 सरकार
2. श्रीयुत् दिनेश शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0 सरकार
3. श्री श्रीकान्त शर्मा जी, माननीय मंत्री, ऊर्जा, शक्ति भवन, लखनऊ
4. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ
5. Hon'ble अध्यक्ष/सदस्य/मा0 प्रमुख सचिव, उ0प्र0 राज्य मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को संलग्नक–1 के साथ प्रेषित।
6. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ
7. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ
8. निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ
9. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
10. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ
11. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, लखनऊ
12. ए0सी0एम0–प्रथम महोदय, कलेक्ट्रेट भवन, कैसरबाग, लखनऊ
13. डा0 ए0ए0 मलिक, राष्ट्रीय महासचिव, अर्न्तराष्ट्रीय मानव अधिकार एशोसिएशन
14. अपर सचिव–प्रथम, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
15. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
16. महाप्रबन्धक (औ0सं0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
17. संयुक्त सचिव, का0वि0नी0/विनियम, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
18. उप श्रमआयुक्त, लखनऊ

भवदीय

(सुनील प्रकाश पाल)
प्रदेश अध्यक्ष
8090000331/9648227577

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग–2
संख्या–4/2017/1070/24–पी–2–17–1(121)/04
लखनऊ : दिनांक 04 जुलाई, 2017
अधिसूचना
आदेश

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन्1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिये 1– उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 2– उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ, 3– उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ, 4– उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 5– कानपुर इलेक्टिसिटी सप्लाई कम्पनी, केस्को, 6– मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ 7– पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी 8– पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ और 9– दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हडताल निषिद्व करते है।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देष देते है कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाये।

आज्ञा से,
ह0
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–4/2017/1070/(I) 24–पी–2–17–1(121)/04, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शाखा ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 04.07.2017 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। कृपया मुद्रण के उपरान्त मैटर को तोड दिया जाये।

आज्ञा से,
ह0
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–4/2017/1070/(II)24–पी–2–17–1(121)/04, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
2– अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
3– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
4– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6– समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।
7– सूचना निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आदेश को विशेष रूप से प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।
8– विधायी अनुभाग–1
9– श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
10–प्रबन्ध निदेशक, कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी (केस्को), कानपुर।
11–प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
12–प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
13–प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
14–प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
15–गोपन अनुभाग–2 एवं ऊर्जा अनुभाग–1/3/ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,
ह0
(एन0एच0 रिजवी)
विशेष सचिव

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः–3519–औसं/2017–159–ए/67 दिनांक 10 जुलाई, 2017

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

2– अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के निजी सचिव।

3– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

4– अपर सचिव–I/II/III, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

5– प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा, केस्को कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

6– मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।

7– महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

8– पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

9– समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

10– समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

11– उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

12–कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।

13–समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड (कारपोरेशन मुख्यालय), एवं लेखा शाखा, शक्ति भवन, लखनऊ।

14–अधिशासी अभियन्ता (वेब), क0सं0–407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

15– कट फाइल।

Nat Mathur 10.7.

(नवनीत माथुर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

संख्याः–3519–(1)–औसं/2017 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के समस्त श्रम/सेवा संघो को उ0प्र0 शासन की उक्त अधिसूचना के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रेषित।

(नवनीत माथुर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

UNION/1081